



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260520
CG-DL-E-27012025-260520

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2025/माघ 7, 1946

No. 47]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2025/MAGHA 7, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2025

सं. 10/2025

आय-कर

सा.का.नि. 76(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण का खंड (ग) के उपखंड (i) के मद (I) के उप-मद (ख), खंड (23चख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (क) की मद (II) की उप-मद (iv) और धारा 94ख की उपधारा (5) के खंड (iv) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,

(क) नियम 2घक के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"धारा 10 के खंड (23चख) के लिए जोखिम पूंजी निधि की शर्तें। 2घकक.- धारा 10 के खंड (23चख) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (क) के मद (II) के उप-मद (iv) के प्रयोजनों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 18 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी निधि को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित प्रवर्ग 1 वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में माना जाएगा।

(ख) नियम 21कग के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"धारा 94ख के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी के लिए शर्तें और गतिविधियां। 21कगक.- (1) धारा 94ख की उपधारा (5) के खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित वित्त कंपनी केवल निम्नलिखित गतिविधियों में से एक या अधिक को कार्यान्वित करेगी, अर्थात्: -

(i) ऋण, प्रतिबद्धताओं और प्रत्याभूतियों, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय पट्टे के रूप में उधार;

(ii) प्राप्तियों का फेक्टर और समपहरण; या

(iii) वैश्विक या क्षेत्रीय कॉर्पोरेट ट्रेजरी केंद्र के कृत्य जैसे उधार लेना, उधार दाता, मुद्रा या वस्तु जोखिम या निवेश की गई हानि से बचने के उपाय, नकद प्रबंधन, संरचित ऋण, इंद्रा ग्रुप फाइनेंसिंग, वित्तीय बजट और इसी प्रकार की अन्य ट्रेजरी सेवाएं और गतिविधियां।

(2) किसी अनिवासी द्वारा जारी किसी ऋण के संबंध में ऐसी वित्त कंपनी द्वारा, जो उधार लेने वाला है, संदत्त किया जा रहा ब्याज विदेशी करेंसी में होगा।

स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

(i) "वित्त कंपनी" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड.) में परिभाषित एक वित्त कंपनी अभिप्रेत है; और

(ii) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है।";

(ग) नियम 21 कझक में,-

(i) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(4) धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उप-खंड (i) के मद (I) के उप मद (ख) प्रयोजनों के लिए,

(क) खुदरा स्कीम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगी, अर्थात्: -

(i) इसमें कम से कम बीस निवेशक होंगे, और कोई भी एकल निवेशक ऐसी स्कीम में पच्चीस प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं करेगा;

- (ii) यह अपने सहयुक्त में प्रबंधन के अधीन अपनी कुल आस्तियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगा;
- (iii) यह असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में प्रबंधन के अधीन अपनी कुल आस्तियों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगा; और
- (iv) यह किसी एकल कंपनी में प्रबंधन के अधीन अपनी कुल आस्तियों के दस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगा।

(ख) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:-

- (i) यह अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा और व्यापार करेगा; और
- (ii) यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।"

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.-इस नियम के प्रयोजन के लिए, पद-

- (iii) "सहयुक्त" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ड.) में समनुदेशित है;
- (iv) "निधि प्रबंधन इकाई" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (त) में समनुदेशित है;
- (v) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उप-खंड (i) में समनुदेशित है।"

[अधिसूचना संख्या 10 /2025/फा. सं. 370142/26/2024-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.67(अ) तारीख 21 जनवरी, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2025

No. 10/2025**INCOME-TAX**

G.S.R. 76(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-item (b) of item (I) of sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D), sub-item (iv) of item (II) of sub-clause (A) of clause (b) of the *Explanation* to clause (23FB) of section 10 and clause (iv) of sub-section (5) of section 94B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,—

(a) after rule 2DA, the following shall be inserted, namely:—

“Conditions for the Venture Capital Fund for the clause (23FB) of section 10.— 2DAA. For the purposes of sub-item (iv) of item (II) of sub-clause (A) of clause (b) of Explanation to clause (23FB) of section 10, the Venture Capital Fund as referred to in sub-regulation (2) of regulation 18 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 shall be construed as Category I Alternative Investment Fund regulated under the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).”;

(b) after rule 21AC, the following shall be inserted, namely:—

“Conditions and activities for the Finance Company located in any International Financial Services Centre for section 94B.— 21ACA.— (1) For the purposes of clause (iv) of sub-section (5) of section 94B, the Finance Company located in any International Financial Services Centre shall only carry out one or more of the following activities, namely:—

- (i) lending in the form of loans, commitments and guarantees, credit enhancement, securitisation, financial lease;
- (ii) factoring and forfaiting of receivables; or
- (iii) functions of Global or Regional Corporate Treasury Centre such as borrowings, lending, hedging of currency or commodity risk or investments, cash management, structured credit, intra group financing, financial budgeting and similar other such treasury services and activities.

(2) The interest being paid by such Finance Company, being the borrower, in respect of any debt issued by a non-resident, shall be in foreign currency.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expressions—

- (i) “Finance Company” means a finance company as defined in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019); and
- (ii) “International Financial Services Centre” shall have the meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).”;

(c) in rule 21AIA,—

(i) after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely,—

“(4) For the purposes of sub-item (b) of item (I) of sub-clause (i) of clause (c) of *Explanation* to clause (4D) of section 10,

(A) the retail scheme shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall have at least twenty investors with no single investor investing more than twenty-five per cent. in such scheme;
- (ii) it shall not make any investment exceeding twenty-five per cent. of its total assets under management in its associate;
- (iii) it shall not make any investment exceeding fifteen per cent. of its total assets under management in unlisted securities; and
- (iv) it shall not make any investment exceeding ten per cent. of its total asset under management in a single company.

(B) the Exchange Traded Fund shall satisfy the following conditions, namely:—

- (i) it shall be mandatorily listed and traded on a recognised stock exchange; and
- (ii) it shall comply with the requirements as specified in International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).”;

(ii) for the *Explanation*, the following shall be substituted, namely,—

“**Explanation.**— For the purpose of this rule, the expressions—

- (iii) “associate” shall have the meaning as assigned to it in clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (iv) “fund management entity” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (v) “specified fund” shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (i) of clause (c) of the *Explanation* to clause (4D) of section 10 of the Act.”.

[Notification No. 10/2025/ F. No.370142/26/2024-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 67(E) dated the 21st January, 2025.